महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 26.07.2025

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 26.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 26.07.2025

मीडिया सेल, महोबा

- **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानो की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'शक्ति दीदी' अभियान।**
- **स्कूली छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों, गुड टच-बैड टच एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।**

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलमंबन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 26.07.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना खरेला एवं महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में जाकर वहां मौजूद बच्चियों तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत जागरुक किया गया साथ ही गुड टच-बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाईन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरुक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओँ (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 26.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चरखारी के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 26.07.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने नाबालिग/बच्ची से दुष्कर्म करने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त जेल भेजा गया है...।

दिनांकः 25.07.2025 को थाना पनवाड़ी क्षेत्रन्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा इस दुस्साहसिक घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया, महिला सम्बन्धी अपराध के प्रकरण में संवेदनशील होते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पनवाड़ी में मु0अ0सं0 155/25 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उक्त दुस्साहसिक घटना को कारित करने वाले अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब त्रिपाठी द्वारा गठित उ0नि0 रामकिशन यादव मय हमराह कां0 विनोद व कां0 विजय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त अनिल पुत्र रामखेलावन उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम रिछा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अनिल पुत्र रामखेलावन उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम रिछा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 रामकिशन यादव
2.कां0 विनोद कुमार
3.कां0 विजय कुमार

"थाना समाधान दिवस" के अवसर पर आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना गया एवं उनके निराकरण हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

- आज दिनांक- 26.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद महोबा के थाना चरखारी में में पहुँचकर क्षेत्र से आये फरियादियों की समस्याओं की जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी फरियादियों को उनकी समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र समाधान हेतु आश्वस्त किया। उन्होंने मौके पर ही राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर, शिकायतों के शत-प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए।

- इसी प्रकार अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी महोबा, श्री रामप्रकाश के साथ थाना कोतवाली नगर में उपस्थित रहकर संयुक्त रुप से फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनके शीघ्र समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

- जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच कर, शिकायतों के निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संयुक्त टीमों द्वारा मौके पर जाकर त्वरित कार्यवाही की गई।

- थाना समाधान दिवस के अंतर्गत जनपद में कुल 33 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 27 शिकायतें राजस्व से सम्बन्धित व 06 शिकायतें पुलिस से सम्बन्धित पायी गयी, इनमें से 02-02 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जबकि शेष शिकायतों के समाधान/निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

-थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता 01 वांछित अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार

-थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है।

- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में हत्या, गैंगस्टर एक्ट एवं गोवध अधिनियम जैसी संगीन धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हैं।-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित उ0नि0 सनय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त शकील अहमद पुत्र स्व0 वकील उम्र 42 वर्ष निवासी मु0 कसौरा टोरी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, जो पूर्व में कसौरा टोरी मोहल्ले में अवैध तमंचे से फायरिंग की घटना कारित किया था, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 315/2025 धारा 194(2)/229/125/292 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था, को शिवताण्डव मंदिर के पास पुलिस लाईन रोड से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त के कब्जे से हुए अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 318/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शकील अहमद पुत्र स्व0 वकील उम्र 42 वर्ष निवासी मु0 कसौराटोरी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 सनय कुमार चौकी इन्चार्ज मनियादेव
2.कां0 आशीष पाल

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास…

1.मु.अ.सं. 2148/2009 धारा 302/307/342/377/387/394/506 भादवि थाना को0नगर महोबा
2.मु.अ.सं. 2230/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
3.मु.अ.सं. 767/2011 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 थाना कोतवाली नगर महोबा
4.मु.अ.सं. 405/2022 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
5.मु.अ.सं. 363/2024 धारा 323/325/504 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा
6.मु.अ.सं. 470/24 धारा 126(2)/191(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर महोबा

महोबा पुलिस

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 26.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त हरीसिंह राजपूत पुत्र वीरेन्द्र सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी गैलेक्सी गार्डन वाली गली मु0 शेखूनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए पठा रोड पर नहर के आगे महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 317/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

हरीसिंह राजपूत पुत्र वीरेन्द्र सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी गैलेक्सी गार्डन वाली गली मु0 शेखूनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह चौकी इन्चार्ज भटीपुरा

2.कां0 नरेन्द्र कुमार

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 26.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

आरओ/एआरओ परीक्षा को लेकर ADM व ASP ने परीक्षा केन्द्रों का किया संयुक्त निरीक्षण ,

परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, पारदर्शी व शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन के दिये गये निर्देश

जनपद में प्रस्तावित सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 की तैयारियों को लेकर आज दिनांक 26.07.2025 को अपर जिलाधिकारी महोबा श्री रामप्रकाश एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह ने संयुक्त रूप से विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने केन्द्रों की व्यवस्थाओं का भौतिक रूप से जायजा लिया और वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं सुरक्षा प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बैठने की समुचित व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, सीसीटीवी निगरानी, अग्निशमन यंत्र, महिला परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने संबंधित केन्द्र प्रभारियों व व्यवस्था में लगे अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

अपर जिलाधिकारी श्री रामप्रकाश ने कहा कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय से पूर्व पूर्ण कर लिए जाएं। वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है, प्रत्येक केन्द्र पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा का आयोजन नकलविहीन, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी माहौल में सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा पूर्ण समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है जिससे परीक्षार्थियों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।